

प्रेस नोट

जनपद: भदोही

दिनांक: 24/09/2026

थाना दुर्गागंज पुलिस द्वारा ₹15,000/- का इनामी शातिर अपराधी व गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

गैंग लीडर लकी गिरी के इस गिरोह द्वारा लोक व्यवस्था भंग करने, फायर करने, गाली-गलौज व मारपीट तथा संपत्ति क्षति ग्रस्त करने जैसा किया जाता था जघन्य अपराध

गिरफ्तारी का विवरण:-

गैंगलीडर लकी गिरी का एक बेहद शातिर संगठित आपराधिक गिरोह है। यह गैंग संगठित होकर अपने सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करने, जान से मारने की नीयत से फायर करने, गाली-गलौज व मारपीट करने तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति ग्रस्त करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। जिनके विरुद्ध थाना दुर्गागंज के मु०अ०सं० 76/26, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) पंजीकृत है। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ₹15,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 24.09.2026 को थाना दुर्गागंज पुलिस टीम द्वारा कुढ़वा चौराहे से घेराबंदी करके शातिर इनामी गैंगस्टर अभियुक्त सर्वेन्द्र गिरी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सर्वेन्द्र गिरी पुत्र लक्ष्मीशंकर गिरी निवासी ग्राम हरदुआ, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार, उप-निरीक्षक श्री अशोक कुमार यादव, उप-निरीक्षक श्री रामजतन यादव, आरक्षी श्री सूर्यप्रताप यादव, आरक्षी श्री विकास राजपूत, आरक्षी श्री घनश्याम, आरक्षी श्री अश्विन कुमार चौधरी एवं चालक आरक्षी श्री चेतन सरोज (थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही)।